89/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

**अपील सूचना अधिकार संख्या 89/2016 अनवानी श्री हरबंस लाल पुत्र बनवारीलाल निवासी वार्ड नं. 39, 25 जनता कोलोनी श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर**

**11–02–2017**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरबंस लाल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संदीप गोड़, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला रसद अधिकारी से चाही गई सूचना उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.04.16 से जान बूझकर देने से ईन्कार कर दिया है जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा जिस प्रारूप में सूचना चाही गई है उस प्रारूप में सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) व 7(9) के अन्तर्गत सूचना देय नही होने से अपीलार्थी का आवेदन पत्र सही रूप से खारिज किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हरबंस लाल ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जिला रसद अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः–

> 1जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 तक पब्लिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार डीपू होल्डर ने केरोसीन, गेंहू, चीनी आदि का कितने सामान का उठाव किया गया है, व कितना वितरण किया गया है? इसकी एपीएल व बीपीएल रजिस्टर की व स्टॉक रजिस्टर की प्रतिलिपि दी जावे?

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 3525 दिनांक 31.05.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा जिस प्रारूप में सूचना चाही गई थी उनके कार्यालय में संधारित नही होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर पत्र सं0 2881 दिनांक 25.04.2016 के द्वारा प्रार्थी को सूचित कर दिया था।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र सं0 2881 दिनांक 25.04.16 के द्वारा निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

> उपरोक्त चाही गई सूचनांए जिस प्रारूप में चाही गई है कार्यालय में संधारित नही है। अतः उक्त सूचना के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उतर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है।
>
> इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनाये एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस सम्बंध मे आपको कोई उज्र हो तो 30 दिवस में प्रथम अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के न्यायालय में कर सकते है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

89/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर



अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं विस्तृत है और कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में भी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 25.04.2016 सही है। फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और उस उपलब्ध अभिलेख में से अपीलार्थी जिस निश्चित अभिलेख की सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

535-36 06/03/17

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

( ज्ञाना राम )
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर